

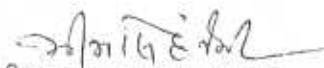
तत्काल

विषय:- वर्ष 2008-09 के लिये गोपनीय रिपोर्ट लिखना ।

.....

हरियाणा सिविल सचिवालय के अधिकारियों / कर्मचारियों की वर्ष 2008-09 (1.4.2008 से 31.3.2009 तक) की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट अप्रैल, 2009 में लिखी जानी है । इस सम्बन्ध में सलग्न प्रोफार्मा (भाग-1 से 3) में (पृष्ठ-3 पर) दिए गए अनुसार हरियाणा सिविल सचिवालय के अधिकारियों/ कर्मचारियों के वर्गों से संबंधित सूचना तुरन्त अपेक्षित है:-

1. उप सचिव (संयुक्त निदेशक/उप निदेशक) केवल एच.एस.एस. काडर ।
 2. अवर सचिव (प्रशासकीय अधिकारी या समकक्ष) केवल एच.एस.एस. काडर ।
 3. विशेष कार्यकारी अधिकारी (केवल सचिवालय काडर पर) ।
 4. अधीक्षक/मैनेजमेंट कंसलटेंट/वितीय सलाहकार/कार्मिक सलाहकार ।
 5. उपाधीक्षक ।
 6. वरिष्ठ लेखाधिकारी/ लेखाधिकारी ।
 7. सहायक ।
 8. लेखा परीक्षक/वरिष्ठ लेखा परीक्षक ।
 9. पुस्तकाध्यक्ष/सहायक पुस्तकाध्यक्ष ।
 10. सांख्यिकीय सहायक ।
 11. प्रवर/अवर अनुवादक ।
 12. एक्स काडर सहायक ।
 13. सहायक अनुसंधान अधिकारी/अनुसंधान अधिकारी ।
 14. उप/सहायक जिला न्यायवादी ।
 15. जूनियर इंजीनियर/एस.ओ. ।
 16. तकनीकी सहायक ।
 17. सचिव/सहायक सचिव, राज्य सैनिक बोर्ड, प्रोजेक्ट प्रमोशन अधिकारी ।
 18. विशेष सहायक ।
2. उपरोक्त के अतिरिक्त यदि कोई अन्य पदधारी उनके अधीन कार्यरत हो तो उसके बारे भी सूचना अपेक्षित होगी ।
3. अनुरोध है कि अपेक्षित सूचना स्थापना-1 शाखा में दिनांक 15.3.2009 तक अवश्य पहुंच जानी चाहिए ताकि समय पर गोपनीय रिपोर्ट लिखवाई जा सके ।


अधीक्षक स्थापना शाखा-1,

कृते : मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।

सेवा में

1. मुख्यमंत्री जी के प्रधान सचिव/विशेष प्रधान सचिव/ उप प्रधान सचिव/अतिरिक्त प्रधान सचिव एवं विशेष कार्यकारी अधिकारी/सलाहकार/मुख्यमंत्री/सलाहकार/अपराध तथा चौकसी/मुख्यमंत्री ।
2. सभी मंत्रियों/राज्य मंत्रियों/ मुख्य संसदीय सचिव/संसदीय सचिवों के वरिष्ठ विशेष निजी सचिव/ वरिष्ठ निजी सचिव/ निजी सचिव ।
3. सचिव, लोकायुक्त, हरियाणा, चण्डीगढ़ ।
4. सदस्य सचिव, हरियाणा ब्यूरो ऑफ पब्लिक एंटरप्राइसिज ।
5. हरियाणा सिविल सचिवालय के सभी संयुक्त सचिव/ उप सचिव/ अवर सचिव/ अधीक्षक/ उपाधीक्षक एवं अन्य शाखा इंचार्ज ।
6. विशेष कार्य अधिकारी/ प्रशासकीय अधिकारी/ आर.वी.ए. तथा परिचालन सहायक ।

अशा: क्रमांक 6/2/2009-4स्था : 1

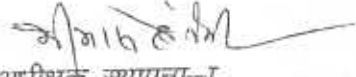
दिनांक चण्डीगढ़, 27 फरवरी, 2009

.....2.....

एक प्रति :-

1. निदेशक, खाद्य एवं आपूर्ति विभाग, हरियाणा, चण्डीगढ़ ।
2. निदेशक, समाज कल्याण विभाग, हरियाणा, चण्डीगढ़ ।
3. निदेशक, अल्प बचतें, हरियाणा, चण्डीगढ़ ।
4. सचिव, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग, चण्डीगढ़ ।
5. सचिव, स्वतन्त्रता सेनानी सम्मान समिति ।
6. सचिव, राज्यपाल, हरियाणा, चण्डीगढ़ ।
7. सचिव, राज्य सैनिक बोर्ड, हरियाणा, सैक्टर-12, पंचकूला ।
8. विशेष प्रतिनिधि, हरियाणा सरकार, हरियाणा भवन, कॉपर निकस मार्ग, नई दिल्ली ।
9. जांच अधिकारी, चौकसी विभाग, हरियाणा, चण्डीगढ़ ।

को भेजी जाती है तथा प्रार्थना की जाती है कि उनके अधीन कार्य कर रहे सचिवालय के अधिकारियों/कर्मचारियों से सम्बन्धित आवश्यक सूचना तुरन्त (दिनांक 15.3.2009 तक) अवश्य उपलब्ध करवा दें ।


अधीक्षक स्थापना-1,

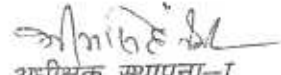
कृते: मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार।

एक प्रति:-

1. निदेशक, कृषि विभाग, हरियाणा, कृषि भवन, सैक्टर-21, पंचकूला ।
2. निदेशक, औद्योगिक प्रशिक्षण एवं व्यवसायिक शिक्षा विभाग, हरियाणा, चण्डीगढ़ ।
3. आयुक्त, परिवहन विभाग, हरियाणा, चण्डीगढ़ ।
4. महाधिवक्ता, हरियाणा, चण्डीगढ़ ।
5. अध्यक्ष, राज्य चुनाव आयोग, हरियाणा, चण्डीगढ़ ।
6. अध्यक्ष, गुरुद्वारा, चुनाव आयोग, हरियाणा, चण्डीगढ़ ।
7. अध्यक्ष, तीसरा राज्य वित्त आयोग, हरियाणा ।
8. अतिरिक्त उपायुक्त एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, डी.आर.डी.ए., पानीपत, करनाल, कुरुक्षेत्र, झज्जर, कैथल एवं फतेहाबाद ।
9. प्रोजेक्ट निदेशक, फीस स्ट्रक्चर कमेटी ।
10. प्रोजेक्ट निदेशक, शहरी विकास, सोसायटी एवं नंहरू रोजगार योजना, हरियाणा ।

को भेजी जाती है तथा प्रार्थना की जाती है कि उनके अधीन कार्य कर रहे सचिवालय के अधिकारियों/कर्मचारियों से सम्बन्धित सूचना (दिनांक 15.3.2009 तक) अवश्य उपलब्ध करवा दें ।

(संलग्न प्रोफार्मा)


अधीक्षक स्थापना-1,

कृते: मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार।

(भाग-1)

इस भाग में कार्यालय/शाखा में कार्य कर रहे कर्मचारियों बारे सूचना देनी है जिन्होंने वर्ष 2008-09 में पूर्ण वर्ष कार्य किया है तथा अब तीन मास से अधिक समय से कार्य कर रहे हैं ।

क्र०	कर्मचारी तथा उसके पिता का नाम	वर्तमान कार्यालय/शाखा में तैनाती की तिथि	माध्यम जिससे कर्मचारियों का कार्य गुजरता है (नाम, पद संज्ञा व अवधि)	अधिकारियों के नाम वर्ष के दौरान स्थानान्तरण तिथियों के साथ
1.	2.	3.	4.	5.

(भाग-2)

इस भाग में उन कर्मचारियों के सम्बन्ध में सूचना दी जानी है जिन्होंने वर्तमान शाखा में तीन मास से अधिक कार्य न किया हो ।

क्र०	कर्मचारी तथा उसके पिता का नाम	कार्य अवधि से तक	माध्यम जिससे कर्मचारी का कार्य गुजरता था (नाम, पद संज्ञा तथा अवधि)	अधिकारियों के नाम	शाखा का नाम जहां कर्मचारी का स्थानान्तरण हुआ है तथा स्थानान्तरण की तिथि
1.	2.	3.	4.	5.	6.

(भाग-2)

इस भाग में उन कर्मचारियों की सूचना दी जाये जिन्होंने वर्ष 2008-09 में कार्यालय/ शाखा में तीन मास या अधिक समय तक कार्य किया हो तथा अब इस शाखा से बदल गये हों ।

क्र०	कर्मचारी तथा उसके पिता का नाम	कार्यालय/शाखा में कार्य अवधि से तक	माध्यम जिससे कर्मचारी का कार्य गुजरता था (नाम, पद संज्ञा तथा अवधि)	शाखा का नाम जहां कर्मचारी का स्थानान्तरण हुआ है तथा स्थानान्तरण की तिथि
1.	2.	3.	4.	5.